न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 65/2020 अपील/डूंगरपुर (GCMS 2020/00069)
पंजीयन दिनांक– 02.11.2020
निर्णय दिनांक– 27.11.2020

श्रीमती पार्वती पत्नि रमेश चन्द्र सेवक, निवासी साबला, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती चम्पा पत्नि लवजी मेघवाल, निवासी साबला, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री लवजी पिता हेमा मेघवाल, निवासी साबला, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री शेलेष भण्डारी	:	अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री एस. पी. व्यास	:	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या– 1 व 2
राजकीय अभिभाषक	:	रेस्पोडेंटस संख्या–3

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 06/2020
निर्णय दिनांक 17.03.2020

निर्णय

दिनांक– 27.11.2020

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के

प्रकरण संख्या 06/2020 निर्णय दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 29.10.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा साबला के खसरा नम्बर 891 में रकबा 01 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 122/10 दिनांक 01.02.2010 से रेस्पोडेंटगण लवजी पिता हेमा चमार एवं उसकी पत्नि चम्पा को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गई थी। उक्त आवंटित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि से सटी हुई होना एवं भूमि पूर्वजों से काबिज होकर काश्त करते आ चले आ रहे है तथा आज भी कब्जा अपीलांट का होना बताते हुए रेस्पोडेंटगण के नाम से उक्त आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कराने के साथ ही भूमि अपीलांट के नाम से नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2020 निर्णय दिनांक 17.03.2020 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न/असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.08.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षों की ओर से बहस में दी गई दलीलों पर गोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प साबला में मौजा साबला की आराजी नम्बर 891 में रकबा 01 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 को गैर खातेदारी हक पर जरिये मिसल नम्बर 122/2010 के द्वारा दिनांक 01.02.2010 को आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीया ने अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होना एवं उसके खातेदारी की भूमि से सटी हुई होना बताते हुए तथा उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होना बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र/प्रकरण पेश किया है। लेकिन प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित खसरा नम्बर 891 रकबा 01 बीघा भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। प्रार्थीया की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया है यह कैसे माना जा*

सकता है कि अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का पुराना कब्जा काश्त है। प्रार्थीया की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये है वह तो अप्रार्थीगण के खाते की भूमि के पेश किये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 122/2010 के द्वारा दिनांक 01.02.2010 को मौजा साबला के आराजी नम्बर 891 रकबा 01 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1, 2 को आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शेलेष भण्डारी उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षों की बहस दिनांक 26.11.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण को आवंटित आराजी नम्बर 891 की भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि से सटी हुई है जिसमें अपीलांट के ससुर के जीवनकाल से ही कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी की भूमि के चारों ओर अपीलांट ने थूअर की बाड लगा रखी है। आराजी नम्बर 891 रकबा 01 बीघा भूमि पर अपीलांट के पूर्वजों से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौजा साबला में केम्प आयोजित किया गया। जिसकी किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं कराई गई ओर न ही एलोटमेंट किये जाने की सूचना ग्रामवासियों को थी रेस्पोडेंटगण ने अपने प्रभाव के कारण छिपे तौर पर अपीलांट की पुरानी कब्जे काश्तशुदा भूमि अपने नाम से आवंटन करवा दी गई। आवंटन के पश्चात से रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त नहीं है एवं नही आज तक उक्त भूमि को जोता गया है। आवंटन सलाहकार

समिति द्वारा मौके का निरीक्षण किये बिना ही रेस्पोडेंटगण को आराजी नम्बर 891 की भूमि का आवंटन कर दिया गया जो कानूनी रूप से गलत होकर काबिले निरस्त है। उक्त भूमि पर अपीलांट ने फसल बो रखी है तथा रेस्पोडेंटगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पटवारी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन किया गया है रेस्पोडेंटगण के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। रेस्पोडेंटगण बिलकुल भूमिहीन नहीं है अपीलांट से कई गुना अधिक भूमि रेस्पोडेंटगण के पास में है। आवंटन कमेटी द्वारा गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेंटगण के नाम आवंटन कर दिया गया। अतः रेस्पोडेंटगण के नाम से दिनांक 01.02.2010 को आवंटन की गई भूमि का आवंटन आदेश निरस्त किया जावे एवं नियम 20 के अंतर्गत अपीलांट की कब्जे की भूमि को नियमन करने का आदेश पारित किया जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः **RRD** 2001 पेज 465 एवं **RRT** 2006–07 पेज 443 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण ने अपील बहस में बताया कि आराजी नम्बर 891 पर रेस्पोडेंटगण का दिर्घकाल से बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमे अनाज की पैदावार करता आया है मौजा साबला में प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत रेस्पोडेंटगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है केम्प में अन्य कई संख्या में आवंटन हुए है केवल एक अपीलांट का आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन सलाहकार समिति द्वार पूर्ण जांच कर सर्व सम्मति से आवंटन किया गया है। अपीलांट का आराजी नम्बर 891 पर आज दिन तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेंटगण ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंटगण को आवंटन नियमानुसार हुआ है। आवंटित भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 2673 दिनांक 02.06.2015 के द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। आवंटित भूमि पर रेस्पोडेंटगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त है उसमे फसल बोई हुई है। अपीलांट की ओर से दी गई जानकारी मिथ्या होकर गलत है। उक्त भूमि को हजारों रूपया खर्च कर काश्त योग्य बनाया है। अतः अपीलांट की अपील गलत तथ्यों पर होने से इसे खारिज किया जावें एवं रेस्पोडेंटगण के नाम आवंटन आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा

अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय **RRT** 2018 पेज 1007 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया रेस्पोडेंटगण को किया गया आवंटन नियमानुसार किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायानय का निर्णय दिनांक 17.03.2020 को हुआ है तथा इसके बाद दिनांक 24.03.2020 से निरन्तर कोविड–19 के कारण लम्बे समय से लॉकडाउन व न्यायालय में कार्य बाधित रहा है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणाार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर तथा प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन व अपील मेमो में जो उज्र उठाये गये हैं, उन पर विवेचना करना उचित समझते हैं।

अपीलाण्ट का सर्वप्रथम कथन यह है कि रेस्पोंडेण्ट आवंटी को आवंटित भूमि पर उसका उसके ससुर के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वह इस भूमि पर दीर्घकाल से काबिज है।

> प्रकरण में हालांकि अपीलाण्ट अतिक्रमी का **Locus Standi** नहीं होता, जब तक कि उसके द्वारा अपनी पात्रता व नियमन की अनुशंषा बाबत् कोई तथ्य रेकर्ड पर पेश नहीं किये गये। यहां पर तो अपीलाण्ट के विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने बाबत् भी कोई विधिक साक्ष्य उसके द्वारा पेश नहीं की गयी है, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र समायत योग्य नहीं है तथा वह आवश्यक, हितबद्ध (एग्रीव्ड) पक्षकार भी नहीं रहता।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि विवादित भूमि की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।

अपीलाण्ट के भारसिद्ध उक्त तथ्य के बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसके विपरीत आवंटन आवेदन पर पटवारी, तहसीलदार एवं गिरदावर की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 14 में भूमि के उद्घोषित होने बाबत् टिप्पणी स्पष्टतः अंकित है। तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र समायत योग्य नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आवंटी ने मिलीभगत कर जांच रिपोर्ट राजस्व कर्मियों से तैयार करवायी एवं मौका जांच नहीं की गयी।

अपीलाण्ट का यह उज्र समायत योग्य नहीं है क्योंकि राजस्व कर्मियों की मौका रिपोर्ट 15 बिन्दुओं पर सुस्पष्ट है तथा आवंटन आदेश की पालना में दिनांक 12.01.2011 को साक्षियों की उपस्थिति में भूमि का कब्जा भी दिया जाना प्रमाणित है। अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे भूमि को **Fraud** एवं **Misrepresentation** के आधार पर प्राप्त किया गया हो।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आवंटी द्वारा शर्तों की पालना नहीं की गयी है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये हैं, उसके द्वारा कोई फसल काश्त नहीं की गयी है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्ष 2010 के आवंटन के बाद आवंटन को वर्ष 2015 में नामान्तकरण संख्या 2673 से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं जो स्पष्टतः शर्तों की पालना करने का द्योतक है। इसके विपरीत अपीलाण्ट द्वारा अपने भारसिद्ध तथ्यों के संबंध में ऐसी कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गयी है जिससे काश्त नहीं किया जाना प्रमाणित होता हो।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है।

हमारे द्वारा अपीलाण्ट की पेशशुदा समस्त जमाबंदियों का अवलोकन किया तो यह पाया कि नियमानुसार भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 12 के तहत किसी भी भूमिहीन काश्तकार को भूमि के आवंटन की सीमा बाबत् विधिक प्रावधान 4 हैक्टेयर (आवंटित की जाने वाली भूमि को शामिल करते हुए) ही तय है एवं आवंटित भूमि का रकबा 1 बीघा को शामिल करते हुए तथा अपीलाण्ट की पूर्व धारित भूमि को शामिल करते हुए भी रकबा 4 हैक्टेयर से अधिक होता हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा अपील में भी इन्हीं तथ्यों की पुनरोक्ति की गयी है तथा यह वर्णित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलाण्ट के पक्ष की पूर्ण विवेचना की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही पुनः अपील में पुनरोक्ति/पुनरावृति की है, जिस बाबत् हमारे द्वारा पूर्व में विवेचन किया जा चुका है।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीर **RRD** 2001 पेज 465 प्रस्तुत की है जिसमें सरकार द्वारा भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त नहीं कर पाने का उल्लेख है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर **RRT** 2006–07 पेज 443 मियाद से संबंधित पेश की है जिसे हम पूर्व से ही मान कर अपीलाण्ट की अपील में किये गये विलम्ब को शमन कर चुके हैं। इसके विवरीत रेस्पोंडेण्ट द्वारा न्यायिक नजीर **RRT** 2018 पेज 1007 प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं रहता, जो इस प्रकरण से सुसंगत है क्योंकि इस प्रकरण में वर्ष 2010 के आवंटन के बाद वर्ष 2015 में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर